उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 14 फाल्गुन, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 05 मार्च, 2021)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (दिखिए नत्थी **"क"**)
2. निधन के निदेश।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम मौलाना में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में", श्री आशुतोष पुत्र श्री अशोक कुमार, ग्राम-मानक माजरा, पो0-इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
5. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम भलस्वागाज में शमशान घाट की चारदीवारी के सम्बन्ध में", श्री अर्जुन पुत्र श्री धीर सिंह, ग्राम-भलस्वागाज कालसों, पो0-खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम हल्लूमाजरा में जसवीर के घर से मेन चौराहे तक 400X4 मी0 सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में", श्री जसवीर पुत्र श्री विजय, ग्राम हल्लूमाजरा, पो0-खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम धीर माजरा में रविदास मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में", श्री राजकुमार पुत्र श्री सुखवीर, ग्राम धीरमाजरा, पो0-हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम अकबरपुर कालसों में कब्रिस्तान की चारदीवारी के सम्बन्ध में", श्री इसरार, ग्राम अकबरपुर कालसों, पो0-हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

Scanned with CamScanner

9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

10. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

12. उच्च शिक्षा मंत्री, "देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

13. उच्च शिक्षा मंत्री, "देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" को पुरःस्थापित करेंगे।

14. उच्च शिक्षा मंत्री, "सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

15. उच्च शिक्षा मंत्री, "सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" को पुरःस्थापित करेंगे।

16. उच्च शिक्षा मंत्री, "स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021" पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

17. उच्च शिक्षा मंत्री, "स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021" को पुरःस्थापित करेंगे।

18. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

19. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

20. <u>निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-</u>

1. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।"

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।"

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।

Scanned with CamScanner

4. श्री राम सिंह कैड़ा, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।"

5. श्री चन्दन राम दास, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।"

21. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया "बाल गंगा विकास खण्ड" बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

22. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।"

23. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय"।

24. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है, जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

25. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय"।

Scanned with CamScanner

26. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय"।

27. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय"।

28. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु "राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।"

29. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।"

30. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।"

31. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

Scanned with CamScanner

32. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई, प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय"।

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय"।

34. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न करायें"।

35. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

36. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो, के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय"।

Scanned with CamScanner

37. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय"।

38. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय"।

39. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय"।

41. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहां पर यह कार्यरत है।

42. **निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-**

1. श्री चन्दन राम दास, "यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय ।"

Scanned with CamScanner

2. श्रीमती ममता राकेश, "यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।"

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, " इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।"

4. श्री राम सिंह कैड़ा, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड-ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालीटैक्निक कालेज खोला जाय।"

43. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाय।"

44. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।"

45. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।"

46. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।"

Scanned with CamScanner

47. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय ।"

48. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।"

49. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।"

50. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय"।

51. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।"

52. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।"

53. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।"

Scanned with CamScanner

54. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24-25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोगों हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।"

55. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन-पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।"

56. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय"।

57. <u>नियम-54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण :-</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,	"प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।"
2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,	"अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।"
3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,	"जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में"
4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,	"जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में"
5. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,	"युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक"

58. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।"

Scanned with CamScanner

59. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

60. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत "इरशाद हुसैन" आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिर्पोट अविलम्ब रखी जाय।"

61. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

62. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय-व्यय निर्धारण में संविलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक-पृथक मात्राकरण आय-व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय-व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।"

63. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।"

Scanned with CamScanner

64. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक-एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हाँसिल हो सके।"

65. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।"

66. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।"

67. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

68. जनपद नैनीताल एवं प्रदेश के सिडकुल की कम्पनियों में पहाड़ के युवाओं को नौकरी से हटाए जाने के सम्बन्ध में, श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अंतर्गत वक्तव्य।

69. जनपद बागेश्वर के भगरतोला में शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में, श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

भराड़ीसैण :
दिनांक : 04 मार्च, 2021

(मुकेश सिंघल)
सचिव (प्रभारी)।

Scanned with CamScanner

प्रथम सत्र, 2021
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार,

14 फाल्गुन, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 05 मार्च, 2021)

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 03.02.2021	*01. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि कृषकों की आय वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार के लिए "एरोमा पार्क पॉलिसी" लागू की गई है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पालिसी के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से कितने किसानों को उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना के लाभ का क्या लक्ष्य रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री भरत सिंह चौधरी 03.02.2021	*02. क्या कृषि शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि रूद्रप्रयाग, विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चिरबटिया नामक स्थान पर कृषि औद्यानिक महाविद्यालय निर्माणाधीन है जिसका निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है तथा इस विद्यालय में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स संचालित नहीं हो रहे हैं ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पायेगा तथा इसमें स्वीकृत डिग्री/डिप्लोमा कोर्स कब तक संचालित होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि शिक्षा

Scanned with CamScanner

श्री धन सिंह नेगी
03.02.2021

*03. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि राज्य में नया कृषि सुधार अधिनियम लागू है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि नये कृषि अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार ने एम0एस0पी0 व मण्डी समितियों तथा कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के लिए अभी तक क्या–क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि

श्री राजेश शुक्ला
03.02.2021

*04. क्या कृषि शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि देश में हरित क्रान्ति का आगाज करने वाला देश का पहला शीर्ष पं0 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार की लगातार उपेक्षा के कारण व पर्याप्त बजट न देने के कारण निरन्तर अधोगति की ओर है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत करायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्याप्त बजट न दिये जाने से कॉलेजों के भवनों, छात्रावासों, परिसर की सड़को एवं शिक्षकों/कर्मचारियों के आवासों की अनुरक्षण (मेन्टीनेंस) कराने में भी विश्वविद्यालय सक्षम नहीं रह गया है ? क्या मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार से प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि शिक्षा

श्री देशराज कर्णवाल
चमार साहब
04.02.2021

सप्तम सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 02 में स्थानान्तरित।

*05. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में धान तथा गेहूं की खरीद का कितना निर्धारित लक्ष्य था एवं उसके सापेक्ष कितना धान तथा गेहूं क्रय किया गया है? क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य से कम धान एवं गेहूं की खरीद की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि

Scanned with CamScanner

श्री चन्दन राम दास 04.02.2021	*06. उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार कौसानी को चाय उत्पादन के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो कौसानी की चाय फैक्ट्री के संचालन सहित योजना का क्रियान्वयन कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05.02.2021	*07. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के भण्डारण, छंटाई, वर्गीकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं का आज भी भारी अभाव बना हुआ है? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्थितियों में सुधार व अवस्थापना सुविधायें जुटाने के लिए अब तक क्या–क्या कार्य किये गये हैं? क्या सरकार प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में कृषि सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं को जुटाने के लिए कोई ठोस व दीर्घकालिक कार्यक्रम का निर्माण करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नही तो क्यों?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05.02.2021	*08. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कई जनपदों में वर्ष 2019 एवं 2020 में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण काश्तकारों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है? क्या यह सत्य है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि के चलते सेब, आडू आदि नगदी फसलों के फूल झड़ने से उद्यान काश्तकारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है? क्या सरकार ने क्षतिग्रस्त फसलों का क्षति आकलन कर प्रभावितों को राहत पहुंचायी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 05.02.2021	*09. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के लघु कास्तकारों की आय में वृद्धि हेतु परम्परागत कृषि के साथ असिंचित व बंजर भूमि में जड़ी–बूटी प्रजातियों का कलस्टर आधार पर कितने किसानों को लाभ दिया गया है ? यदि नही, तो क्यों ?	उद्यान

Scanned with CamScanner

श्री मनोज रावत 08.02.2021	*10. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1997 में ग्राम खगेली व कौंणी लगा खगेली, प0वृ0 सिरोसैंण, तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली के ग्रामवासियों की भूमि व जंगल चाय बागान के लिए इस शर्त पर ली गयी थी कि भूमि स्वामियों को चाय बागान में स्थायी नियुक्ति दी जायेगी ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में चाय विकास बोर्ड द्वारा उक्त ग्रामवासियों को जॉब कार्ड द्वारा प्रत्येक माह में केवल 10 दिन काम दिया जा रहा है जिससे उनके परिवारों का भरण–पोषण नहीं हो पा रहा है जिस कारण स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व शर्तों के अधीन ग्रामवासियों को चाय विकास बोर्ड व अन्य जगह स्थायी नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान
श्री राम सिंह कैड़ा 09.02.2021	*11. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य सहित भीमताल विधान सभा क्षेत्र के चारों ब्लॉक ओखलकांडा, धारी, रामगढ़, भीमताल में ओलावृष्टि व भारी वर्षा से किसानों की फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार किसानों की नष्ट हुई फसलों का उचित मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 12.02.2021	*12. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कृषि उत्पादन व्यवस्था में समस्यायें बढ़ती जा रही है ? क्या यह सत्य है कि कीटनाशक, जंतुनाशक व खरपतवार नाशक जहरीली दवाओं, वन विनाश व अन्य कारणों से उत्पादन व गुणवत्ता में कमी आ रही है ? क्या इसके अलावा मिट्टी में उपस्थित केंचुए व सूक्ष्म जीवों में भी, जो मिट्टी को अपनी स्वभाविक प्रक्रिया से उपजाऊ बनाये रखते है, पर्यावरण विनाशी तकनीक के कारण उत्पादन में गिरावट आई है ? क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस उपाय करने जा रही है, वह उपाय व कार्ययोजना क्या–क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि

Scanned with CamScanner

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 05.02.2021	01. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2020 (जून–सितम्बर) में सामान्य से भी कम वर्षा होने के कारण कृषि उत्पादन में भारी कमी आई है? क्या यह सत्य है कि खासकर पहाड़ी जनपदों में जहां वर्षा पर खेती की निर्भरता अधिक होने के कारण कृषकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसे कृषकों के लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के क्या उपाय किये गये है? यदि नही, तो क्यों ?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05.02.2021	02. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के ग्राम पंचायत अठाली के पौंरा सेरा आदि तोक में धान की रोपाई न होने के कारण कास्तकारों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है? क्या यह सत्य है कि चामकोट गाड़ में पानी की भारी कमी होने तथा (जून–जुलाई 2020) में कम वर्षा होने के कारण पौंरा सेरा में रोपाई नहीं हो पायी है? क्या सरकार चामकोट–पौंरा में पम्पिंग सिंचाई योजना का निर्माण कर कास्तकारों को राहत पहुंचायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री धन सिंह नेगी 08.02.2021	03. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि सरकार किसानों के लिए मण्डी उपलब्ध कराने के लिए मण्डी/उपमण्डी का निर्माण करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिहरी के लिए चम्बा, आराकोट में स्वीकृत मण्डी के बारे में अभी तक की गई कार्यवाही से अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 08.02.2021	04. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि संकल्प से सिद्धि तक सरकार की कौन–कौन सी योजनाएं संचालित है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कृषि क्षेत्र में इन चार वर्षों में क्या–क्या कार्य हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि

Scanned with CamScanner

श्री धन सिंह नेगी 10.02.2021	05. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि राज्य में तराई बीज विकास निगम कार्यरत है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त निगम के प्रशासनिक ढांचे का विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त निगम के पास अवस्थापना विकास के सापेक्ष कार्य की स्कीम है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पन्तनगर तराई बीज विकास निगम के प्रशासनिक ढांचे का पुर्नगठन करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री धन सिंह नेगी 10.02.2021	**तृतीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–06 में स्थानान्तरित।** 06. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि राज्य में कृषकों के उन्नयन के लिए ग्रोथ सेन्टरों का चयन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक कितने ग्रोथ सेन्टरों का चयन किया गया है तथा उनके द्वारा क्या–क्या सुविधाएं अनुमन्य है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री राम सिंह कैड़ा 10.02.2021	07. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलकांडा, रामगढ़, धारी, भीमताल ब्लॉकों के मध्य काश्तकारों द्वारा लंबे समय से एक नवीन मंडी खोलने की मांग की जा रही है ? क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अंतर्गत नवीन मंडी खोलेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 10.02.2021	08. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कृषकों की आय दोगुना किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या–क्या उपाय किये जा रहे हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस दिशा में क्या–क्या कार्यकम आयोजित/संचालित किये गये हैं अथवा किये जाने है जिससे कृषकों की आय में दोगुना वृद्धि होगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि

Scanned with CamScanner

श्री प्रीतम सिंह पंवार 12.02.2021	09. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के इच्छुक शिक्षित बेरोजगारों को आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक दवाईयों के निर्माण में काम आने वाली जड़ी–बूटियों/वनस्पतियों के उत्पादन के लिए कोई योजना का निर्माण किया गया है? क्या सरकार ऐसे बेरोजगारों को नर्सरी, बीज तथा उत्पादन क्षेत्र के लिए भूमि उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रीतम सिंह पंवार 12.02.2021	10. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि औद्यानिकी क्षेत्र में लगे काश्तकारों के बागानों में फलों को जंगली जानवरों, पक्षियों के द्वारा भारी क्षति पहुंचायी जाती है? क्या सरकार ऐसे औद्यानिकों को हैलनेट तथा तारजाले सब्सिडी अथवा कम दरों पर उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रीतम सिंह पंवार 12.02.2021	11. क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पंतनगर विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन आहरण/पेंशन भुगतान एवं सेवा नियमावली को दो श्रेणियों में रखे जाने से विसंगति उत्पन्न हुई है? क्या यह सत्य है कि समान शिक्षण शोध एवं प्रसार कार्य आदि में वर्तमान शासनादेश संख्या 1083/XIII-II/04(02) 2015, दिनांक 13.12.2017 एवं विश्वविद्यालय के कई निर्णयों के कारण कई विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं? सरकार इन विसंगतियों को कब तक दूर करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि शिक्षा

Scanned with CamScanner